न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–261/2022

केनरा बैंक बनाम श्रीमती प्रिया शर्मा व अन्य

दिनांक 04.01.2024–

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र गांधी न्यायालय में उपस्थित आये। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र संख्या 11क1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 11क1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

2. वादी की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या 11क1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी ने एक रिकवरी वाद न्यायालय में योजित किया था, जिसमें दिनांक 05.12.2018 को माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन के अनुसार सन् 2018 के बाद के मु0 3,00,000/–रूपये से ऊपर के रिकवरी वाद वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानान्तरित होने हैं, जिस कारण न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। अतः वादी द्वारा उप. रोक्त कारणों के आधार पर उपरोक्त वाद को वापस करने की प्रार्थना की गई है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी की ओर से उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध मु0 6,59,595.16/–रूपये की धन वसूली के अनुतोष हेतू योजित किया गया है।

4. इस मामले में पक्षकारों के मध्य अन्तर्वलित विवाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 2(1)(ग)(I) के अन्तर्गत वाणिज्यिक विवाद की श्रेणी में आता है।

5. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अनुसार कोई ऐसा विवाद जो वाणिज्यिक प्रकृति का विवाद है तथा अधिनियम के अनुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के सम्बन्ध में है, उक्त मूल्य अधिनियम की धारा 2(1)(झ) के अनुसार मु0 3,00,000/– विनिर्दिष्ट किया गया है।

6. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 व 6 में वर्णित प्रावधान के आलोक में वाणिज्यिक न्यायालयों को मु0 3,00,000/–रूपये से अधिक धनराशि के वाणिज्यिक विवाद से सम्बन्धित वादों में विचारण हेतू प्रयोज्य धनीय अधिकारिता प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मूल वाद में पक्षकारों के मध्य मु0 3,00,000/–रूपये से अधिक धनराशि से सम्बन्धित

वाणिज्यिक विवाद उत्पन्न होना दर्शित है, जिस कारण से विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होना विदित होता है।

7. इस सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 15(2) इस आशय का प्रावधान करती है कि किसी जिले या क्षेत्र के जिसके सम्बन्ध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से सम्बन्धित सभी वाद और आवेदन वाणिज्यिक न्यायालय में अन्तरित कर दिये जाएंगे। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति का विवाद मु0 3,00,000/—रूपये से अधिक के सम्बन्ध में है। उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं, अपितु वाणिज्यिक न्यायालय देहरादून को प्राप्त है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन देहरादून में दिनांक 05.12.2018 को हुआ है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि यह वाद दिनांक 25.07.2022 को राज्य में वाणिज्यिक न्यायालय के गठन के उपरांत योजित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आदेश 7 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में योजित किये जाने हेतु वापस किये जाने योग्य है। तद्नुसार वादी का प्रार्थना पत्र संख्या 11क1 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—आदेश—

वादी का प्रार्थना पत्र संख्या 11क1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद पत्र विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून में प्रस्तुतीकरण हेतु वापिस किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। तदोपरांत पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(रीतिका सेमवाल)
सिविल जज (एस0डी0),
रूड़की, जिला हरिद्वार।